संख्या:71/2022/1315/12-2-2022-2/2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 16 सितम्बर, 2022

विषय: विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण की योजना (वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:95/कृ0र0/आठ योजना/की0रो0नि0यो0/2022-23, दिनांक 18 अप्रैल, 2022, पत्र संख्या: 263/कृ0र0/आठ योजना/की0रो0नि0यो0/2022-23, दिनांक 10 मई, 2022, पत्र संख्या: 475/कृ0र0/आठ योजना/की0रो0नि0यो0/2022-23, दिनांक 22 जून, 2022, पत्र संख्या:861/कृ0र0/की0रो0नि0यो0/2022-23, दिनांक 25 अगस्त, 2022 तथा अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या: 862/कृ0र0/ की0रो0नि0यो0/2022-23, दिनांक 25 अगस्त, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि देश की बढ़ती जनसंख्या के खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति के दृष्टिगत कीट, रोग एवं खरपतवार की रोकथाम हेतु कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग से उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। प्रदेश में प्रति वर्ष फसलों में कीट, रोग तथा खरपतवारों आदि द्वारा लगभग 15 से 20 प्रतिशत क्षति होती है, जिसमें लगभग 33 प्रतिशत खरपतवारों, 26 प्रतिशत रोगों, 20 प्रतिशत कीटों, 7 प्रतिशत भण्डारण के कीटों, 6 प्रतिशत चूहों तथा 8 प्रतिशत अन्य कारक सम्मिलित है। अत: प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपरोक्त कारणों से फसलों में होने वाली क्षति को कम किए जाने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक की अवधि के लिए विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करते हैं:-

योजना के मुख्य उद्देश्य:-

(अ) बायोपेस्टीसाइड एवं बायो एजेण्ट के उत्पादन एवं वितरण में गुणात्मक अभिवृद्धि किया जाना।

(ब) रसायनिक कृषि रक्षा रसायनों के वितरण में लाल श्रेणी में वर्गीकृत (सबसे अधिक जहरीले रसायनों) पर अनुदान न दिया जाना एवं क्रमश: कम जहरीले रसायनों को ही अनुदान परिधि में रखा जाना। चूहा नियंत्रण एवं अन्न भण्डारण हेतु धूमक रसायन लाल श्रेणी के हैं, जिसमें अभी उचित विकल्प उपलब्ध नही है अत: केवल चूहा नियंत्रण एवं अन्न भण्डारण के लिए लाल श्रेणी में वर्गीकृत रसायन पर अनुदान पूर्ववत जारी रखा जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(**स**) बीज शोधन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना ताकि अल्प व्यय में बीज जनित रोगों पर नियंत्रण हो सके।

(**द**) खरपतवार नियंत्रण हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही करना।

(**य**) एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन प्रणाली (आई.पी.एम.) को बढ़ावा देना।

<u>योजना की कार्यमद</u>:-

(1) **<u>आई.पी.एम. प्रयोगशालाओं में बायो पेस्टीसाइड्स/बायो एजेण्ट्स का उत्पादन:</u>**

प्रदेश में 09 आई.पी.एम. प्रयोगशालाएं स्थापित हैं, जिनमें बायोपेस्टीसाइड्स यथा ट्राइकोडरमा हारजियेनम, ब्यूवेरिया बैसियाना, एन.पी.वी. एवं बायोएजेण्ट्स यथा ट्राइकोग्रामों कार्ड का उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक इन प्रयोगशालाओं में उत्पादन के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य संलग्नक-1 पर दिए गए है। वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए है जो बजट की उपलब्धता एवं परिव्यय के आधार पर पुर्निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) **<u>बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स के वितरण पर कृषकों को अनुदान:</u>**

पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विषरहित खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टिगत बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स के प्रयोग में गुणात्मक अभिवृद्धि हेतु वर्ष 2022-23 में 0.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वितरण के लिए बायोपेस्टीसाइड्स तथा बायोएजेण्ट्स अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेंगे जिसे योजना के अन्तिम वर्ष तक 1.10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है। अधिकाधिक कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से योजना के अन्तर्गत अनुदान 75 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत समस्त कृषक अनुदान के पात्र होंगे लेकिन प्राथमिकता लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी जाएगी। इस कार्य मद के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य संलग्नक-2 पर दिए गए है।

(3) **<u>बीज शोधन हेतु बीज शोधक रसायनों पर 75 प्रतिशत अनुदान:</u>**

प्रभावी कीट/रोग नियंत्रण के उद्देश्य से एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन प्रणाली (आई.पी.एम.) को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत बीज शोधन एक महत्वपूर्ण कार्यमद है। कृषकों द्वारा सामान्यत: शोधित बीज प्रयोग न किए जाने से फसल बोने के उपरान्त रोगों का प्रकोप अधिक होने की सम्भावना रहती है तथा उनके नियंत्रण में अधिक धन व्यय करना पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि बीज को बोने से पहले उपचारित किया जाए तो बीज जनित रोगों का नियंत्रण अल्प व्यय में ही किया जा सकता है।

वर्ष 2022-23 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 0.40 लाख हे. क्षेत्रफल हेतु बीज शोधक रसायन उपलब्ध कराए जायेंगे, जिसे वर्ष 2026-27 तक 0.60 लाख हे. तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इस कार्यमद के अन्तर्गत केवल वही रसायन उपलब्ध कराए जायेंगे जिनका प्रयोग बीज शोधन के लिए होता है जैसे थीरम, कार्बेन्डाजिम, स्टेप्टामाइसिन सल्फेट आदि। इस योजना के अन्तर्गत बीज शोधक रसायन समस्त कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जायेंगे लेकिन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राथमिकता लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी जाएगी। इस कार्यमद के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्नक-3 पर दिए गए है।

(4) **<u>लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान:</u>**

लघु एवं सीमान्त कृषक आर्थिक कारणों से समय पर कीट/रोग नाशक रसायनों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं जिसका प्रभाव उनकी फसलों पर तो पड़ता ही है तथा कीट/रोग के और बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु आवश्यक है कि लघु एवं सीमान्त कृषकों को लाभान्वित करने हेतु कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाए।

भारत सरकार द्वारा विषाक्तता के आधार पर रसायनों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें लाल श्रेणी के रसायन सबसे अधिक विषैले हैं और उसके उपरान्त विषाक्तता के अवरोही क्रम में पीला, नीला एवं हरा श्रेणी में वर्गीकृत कृषि रक्षा रसायन आते हैं। जन-स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को देखते हुए लाल श्रेणी में वर्गीकृत रसायनों पर अनुदान नहीं दिया जायेगा। यह प्रयास किया जाएगा कि जैसे-जैसे पीले और नीले श्रेणी में वर्गीकृत रसायनों के ऐसे विकल्प उपलब्ध हो जाए जो हरे श्रेणी में वर्गीकृत हो तो क्रमशः पीले और नीले श्रेणी के रसायनों को अनुदान सूची से बाहर कर दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत 1.95 लाख हे. क्षेत्रफल के लिए अनुदान पर कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध कराए जायेंगे। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विवरण संलग्नक-4 पर है।

(5) **<u>लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान</u>:**

इस कार्य मद के अन्तर्गत फुट स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर आदि कृषि रक्षा यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान लघु एवं सीमान्त कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें मानव चालित कृषि रक्षा यंत्र पर अनुदान की सीमा रू. 1500.00 तथा शक्ति चालित कृषि रक्षा यंत्रों पर अनुदान की सीमा रू. 3000.00 प्रति यंत्र होगी। वर्ष 2022-23 में इस कार्यमद के अन्तर्गत 6000 कृषि रक्षा यंत्र उपलब्ध कराए जायेंगे। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विवरण संलग्नक-5 पर है।

(6) **<u>लघु एवं सीमान्त कृषकों को अन्न सुरक्षा हेतु बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान</u>:**

लघु एवं सीमान्त कृषकों को अन्न सुरक्षित रखने के लिए विगत वर्षो में 2, 3 एवं 5 कुंतल क्षमता की बखारियों का वितरण 50 प्रतिशत अनुदान पर किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। कृषकों के मध्य इन बखारियों की मांग बढ़ी है तथा अन्न को सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2022-23 में इस कार्य मद के अन्तर्गत 10,000 बखारी उपलब्ध कराए जायेंगे। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विवरण संलग्नक-6 पर है।

(7) **<u>किसान खेत स्कूल के माध्यम से दलहनी/तिलहनी फसलों में आई.पी.एम. प्रशिक्षण कम प्रदर्शन</u>:**

पर्यावरण संरक्षण व विषरहित खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टिगत बायोपेस्टीसाइड्स/ बायोएजेण्ट्स एवं अन्य सुरक्षित विधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषकों को दलहनी/तिलहनी फसलों में एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन (आई.पी.एम.) के अन्तर्गत किसान खेत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्कूल के माध्यम से प्रशिक्षण कम प्रदर्शन द्वारा कीट/रोग एवं खरपतवार नियंत्रण के प्रति कृषकों में जागरूकता पैदा किया जायेगा। वर्ष 2022-23 में 1650 आई.पी.एम. प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिसमें खरीफ के 825 एवं रबी में 825 प्रशिक्षण-कम-प्रदर्शन आयोजित किए जायेंगे। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विवरण संलग्नक-7 पर है।

(8) अनुदान की उपरोक्त कार्यमदों के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.पी.एम. प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, कीट/रोग के प्रकोप के सर्विलेंस, सहभागी फसल निगरानी एवं निदान प्रणाली एवं आई.पी.एम. एवं कृषि रक्षा की नई तकनीकी की जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी धनराशि व्यय की जाएगी।

(9) योजना के विभिन्न कार्यमदों में उपरोक्त प्रस्तरों में दिए गए विवरण के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्नक-8 में संकलित किए गए हैं। आगामी पांच वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत 192.58 करोड़ रूपए का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत संलग्नक-8 में दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न कार्य मदों में रू0 34.18 करोड़ की धनराशि व्यय की जाएगी। वर्षवार वित्तीय उपाशय का विवरण निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष	धनराशि (लाख रू0 में)
2022-23	3417.90
2023-24	3612.50
2024-25	3844.15
2025-26	4069.20
2026-27	4314.00
योग	19257.75

3. योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना मा0 कृषि मंत्री जी से अनुमोदित कराकर संचालित की जाएगी।

4. योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी अधिकृत होंगे।

5. योजना का संचालन डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाएगा तथा अनुदान की धनराशि कृषकों के आधार सीडेड बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। योजना के लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट यूपीएग्रीकल्चर.डाटकॉम पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध करायी जायेगी।

6. प्रश्नगत योजनान्तर्गत विभागीय वेबसाइट पर पंजीकृत लघु सीमान्त कृषकों द्वारा बाजार से कृषि रक्षा यंत्र क्रय किया जाएगा, जिसके अनुदान की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(डी0बी0टी0) के माध्यम से उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। कृषक गोष्ठियों, मेलों, एडवाइजरी आदि के माध्यम से कृषि रक्षा यंत्रों के प्रयोग एवं रख-रखाव के बारे में कृषकों को जानकारी दी जाएगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:71/2022/1315(1)/12-2-2022-2/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या:4/2/14/2022-सी0 एक्स(1), दिनांक 06 सितम्बर, 2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
राधेश्याम
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

~~संलग्नक-1~~

विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
आगामी पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य

(वित्तीय लाख रू0 में)

कार्यमद	इकाई	2022-23		2023-24		2024-25	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
आई0पी0एम0 प्रयोगशाला में बायोपेस्टीसाइड्स/ बायोएजेण्ट्स का उत्पादन	कि0ग्रा0 एल0ई0 संख्या	450000 50000 27000	569.35	495000 55000 30000	626.45	544500 60500 33000	689.10

कार्यमद	इकाई	2025-26		2026-27		योग	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
		9	10	11	12	13	14
आई0पी0एम0 प्रयोगशाला में बायोपेस्टीसाइड्स/ बायोएजेण्ट्स का उत्पादन	कि0ग्रा0 एल0ई0 संख्या	598950 66550 36300	758.00	658845 73205 39930	833.80	2747295 305255 166230	3476.70

CACCOUNTANT)
P.P.

DA(B)

संलग्नक-2

~~संलग्नक-3~~

विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
आगामी पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य

(वित्तीय लाख रू0 में)

कार्यमद	इकाई	2022-23		2023-24		2024-25	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स पर 75 प्रतिशत अनुदान	लाख हे0	0.75	375.00	0.83	415.00	0.91	455.00

कार्यमद	इकाई	2025-26		2026-27		योग	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
		9	10	11	12	13	14
बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स पर 75 प्रतिशत अनुदान	लाख हे0	1.00	500.00	1.10	550.00	4.59	2295.00

CAC GOUNTANT
P.P

A.C
STA (B)

संलग्नक-13

विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
आगामी पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य

(वित्तीय लाख रू0 में)

कार्यमद	इकाई	2022-23		2023-24		2024-25	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
बीज शोधन हेतु बीजशोधक रसायनों पर 75 प्रतिशत अनुदान	लाख हे0	0.40	60.00	0.45	67.50	0.50	75.00

कार्यमद	इकाई	2025-26		2026-27		योग	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
		9	10	11	12	13	14
बीज शोधन हेतु बीजशोधक रसायनों पर 75 प्रतिशत अनुदान	लाख हे0	0.55	82.50	0.60	90.00	2.50	375.00

संलग्नक-4

विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
आगामी पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य

(वित्तीय लाख रू0 में)

कार्यमद	इकाई	2022-23		2023-24		2024-25	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान	लाख हे0	1.95	975.00	2.00	1000.00	2.10	1050.00

कार्यमद	इकाई	2025-26		2026-27		योग	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
		9	10	11	12	13	14
लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान	लाख हे0	2.15	1075.00	2.20	1100.00	10.40	5200.00

A.C.A (ACCOUNTANT) P.P

A.C.A STB (B)

संलग्नक-6 S

विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
आगामी पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य

(वित्तीय लाख में)

कार्यमद		इकाई	2022-23		2023-24		2024-25	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1		2	3	4	5	6	7	8
लघु एवं सीमान्त कृषकों को मानव एवं शक्ति चालित कृषि रक्षा यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान	मानव चालित	संख्या	2000	30.00	2200	33.00	2420	36.30
	शक्ति चालित	संख्या	4000	120.00	4400	132.00	4840	145.20
	योग		6000	150.00	6600	165.00	7260	181.50

कार्यमद		इकाई	2025-26		2026-27		योग	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
			9	10	11	12	13	14
लघु एवं सीमान्त कृषकों को मानव एवं शक्ति चालित कृषि रक्षा यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान	मानव चालित	संख्या	2662	39.93	2928	43.92	12210	183.15
	शक्ति चालित	संख्या	5324	159.72	5856	175.68	24420	732.60
	योग		7986	199.65	8784	219.60	36630	915.75

ACA STA(B) CACCOUNTANT P.P

संलग्नक-I 6

विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
आगामी पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य

(वित्तीय लाख रू0 में)

कार्यमद	इकाई	2022-23		2023-24		2024-25	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
लघु एवं सीमान्त कृषकों को अन्न सुरक्षा हेतु बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान	संख्या	10000	200.00	11000	220.00	12100	242.00

कार्यमद	इकाई	2025-26		2026-27		योग	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
		9	10	11	12	13	14
लघु एवं सीमान्त कृषकों को अन्न सुरक्षा हेतु बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान	संख्या	13310	266.20	14641	292.82	61051	1221.02

Accounts P.P.

ACO STA (B)

संलग्नक-8 7

विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
आगामी पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य

(वित्तीय लाख में)

कार्यमद		इकाई	2022-23		2023-24		2024-25	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1		2	3	4	5	6	7	8
किसान खेत स्कूल के माध्यम से दलहनी एवं तिलहनी फसलों में आई0पी0एम0 प्रशिक्षण-कम-प्रदर्शन	खरीफ	संख्या	825	220.275	825	220.275	825	220.275
	रबी		825	220.275	825	220.275	825	220.275
योग			1650	440.550	1650	440.550	1650	440.550

कार्यमद		इकाई	2025-26		2026-27		योग	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
			9	10	11	12	13	14
किसान खेत स्कूल के माध्यम से दलहनी एवं तिलहनी फसलों में आई0पी0एम0 प्रशिक्षण-कम-प्रदर्शन	खरीफ	संख्या	825	220.275	825	220.275	4125	1101.375
	रबी		825	220.275	825	220.275	4125	1101.375
योग			1650	440.550	1650	440.550	8250	2202.750

SAA(B) (ACCOUNTANT) P.P.

संलग्नक-8

विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
आगामी पांच वर्षों (2022-23 से 2026-27) हेतु प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(वित्तीय लाख में)

क्र0 सं0	कार्यमद	इकाई	2022-23		2023-24		2024-25	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स का उत्पादन	किग्रा0	450000	569.35	495000	626.45	544500	689.10
		एल0ई0	50000		55000		60500	
		संख्या	27000		30000		33000	
2	बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स पर 75 प्रतिशत अनुदान	लाख हेक्टेयर	0.75	375.00	0.83	415.00	0.91	455.00
3	बीज शोधन हेतु बीज शोधक रसायनों पर 75 प्रतिशत अनुदान	लाख हेक्टेयर	0.40	60.00	0.45	67.50	0.50	75.00
4	लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान	लाख हेक्टेयर	1.95	975.00	2.00	1000.00	2.10	1050.00
5	लघु एवं सीमान्त कृषकों को मानव एवं शक्ति चालित कृषि रक्षा यंत्र पर 50 प्रतिशत अनुदान							
	1. मानव चालित	संख्या	2000	30.00	2200	33.00	2420	36.30
	2. शक्ति चालित	संख्या	4000	120.00	4400	132.00	4840	145.20
	योग		**6000**	**150.00**	**6600**	**165.00**	**7260**	**181.50**
6	लघु एवं सीमान्त कृषकों को अन्न सुरक्षा हेतु बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान	संख्या	10000	200.00	11000	220.00	12100	242.00
	(क्र0सं0 2 से 6 तक) सब्सिड़ी का योग		**16000.00**	**1760.00**	**17600.00**	**1867.50**	**19360.00**	**2003.50**
7	किसान खेत स्कूल के माध्यम से दलहनी/तिलहनी फसलों में आई0पी0एम0 प्रशिक्षण कम प्रदर्शन	संख्या	1650	440.55	1650	440.55	1650	440.55
8	कृषि रक्षा की नई तकनीकी की जानकारी हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक	संख्या	843	48.00	843	48.00	843	48.00
9	कीट/रोग के प्रकोप का सर्वलेंस द्वारा प्रबन्धन एवं रसायनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना	-	-	300	-	330.00	-	363.00
	2401-कीट/रोग नियंत्रण योजना		**-**	**3117.90**	**-**	**3312.50**	**-**	**3544.15**
10	कृषि रक्षा इकाई/केन्द्र/नवसृजित जनपदों/मण्डलीय कार्यालयों एवं आई0पी0एम0 लैब के निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा पुराने भवनों के विद्युतीकरण, ब्राउण्डीवाल निर्माण एवं जल आपूर्ति हेतु	-	-	300	-	300	-	300
	4401-कीट/रोग नियंत्रण योजना	-	-	300.00	-	300.00	-	300.00
	योग	-	**-**	**3417.90**		**3612.50**	**-**	**3844.15**

क्रमशः – 2 पर

संलग्नक-9 8.

विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
आगामी पांच वर्षों (2022-23 से 2026-27) हेतु प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(वित्तीय लाख में)

क्र0 सं0	कार्यमद	इकाई	2025-26		2026-27		योग	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स का उत्पादन	किग्रा0	598950	758.00	658845	833.80	2747295	3476.70
		एल0ई0	66550		73205		305255	
		संख्या	36300		39930		166230	
2	बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स पर 75 प्रतिशत अनुदान	लाख हेक्टेयर	1.00	500.00	1.10	550.00	4.59	2295.00
3	बीज शोधन हेतु बीज शोधक रसायनों पर 75 प्रतिशत अनुदान	लाख हेक्टेयर	0.55	82.50	0.60	90.00	2.50	375.00
4	लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान	लाख हेक्टेयर	2.15	1075.00	2.20	1100.00	10.40	5200.00
5	लघु एवं सीमान्त कृषकों को मानव एवं शक्ति चालित कृषि रक्षा यंत्र पर 50 प्रतिशत अनुदान							
	1. मानव चालित	संख्या	2662	39.93	2928	43.92	12210	183.15
	2. शक्ति चालित	संख्या	5324	159.72	5856	175.68	24420	732.60
	योग		**7986**	**199.65**	**8784**	**219.60**	**36630**	**915.75**
6	लघु एवं सीमान्त कृषकों को अन्न सुरक्षा हेतु बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान	संख्या	13310	266.20	14641	292.82	61051	1221.02
	(क्र0सं0 2 से 6 तक) सब्सिड़ी का योग		**21296.00**	**2123.35**	**23425.00**	**2252.42**	**97681.00**	**10006.77**
7	किसान खेत स्कूल के माध्यम से दलहनी/तिलहनी फसलों में आई0पी0एम0 प्रशिक्षण कम प्रदर्शन	संख्या	1650	440.55	1650	440.55	8250	2202.75
8	कृषि रक्षा की नई तकनीकी की जानकारी हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक	संख्या	843	48.00	843	48.00	4215	240.00
9	कीट/रोग के प्रकोप का सर्वेलेंस द्वारा प्रबन्धन एवं रसायनों की गुणवता सुनिश्चित करना	-	-	399.30	-	439.23	-	1831.53
	2401-कीट/रोग नियंत्रण योजना		**-**	**3769.20**	**-**	**4014.00**	**-**	**17757.75**
10	कृषि रक्षा इकाई/केन्द्र/नवसृजित जनपदों/मण्डलीय कार्यालयों एवं आई0पी0एम0 लैब के निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा पुराने भवनों के विद्युतीकरण, ब्राउण्डीवाल निर्माण एवं जल आपूर्ति हेतु	-	-	300	-	300	-	1500
	4401-कीट/रोग नियंत्रण योजना	-	-	300.00	-	300.00	-	1500.0
	योग	-	-	**4069.20**	-	**4314.00**	-	**19257.75**